श्रीमती कैलाश देवी वगै. V/S टेकचन्द वगैरा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
22-5-2015	पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। तामील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपील को एडमिशन के स्टेज पर सुना गया। अपीला० ने अधिनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर के आदेश दिनांक 5-12-2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील पेश की है। तहत अदालत के वाद संख्या 306/14 उनवान कैलाश देवी बनाम टेकचन्द की आदेशिका दिनांक 9-10-14 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीला० को अप्रार्थीगण के सम्मन / तलबाना रजि० AD भरकर पेश करने हेतु निर्देशित किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 5-12-2014 नियत की गई थी। इसके पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर ने दिनांक 5-12-2014 को दिनांक 9-10-14 की पालना में प्रतिवादीगण की तामील नहीं कराने के फलस्वरूप वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 CPC नान कम्पलेन्स में खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीला० ने यह अपील पेश की है। अभिभाषक अपीलार्थी के एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। चूँकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश फाईनल एडज्यूडिकेशन नहीं माना जा सकता बल्कि इस प्रकार डिफाल्ट में खारिज दावे को रेस्टोर आर्डर 9 नियम 5 CPC के तहत करवाया जाना चाहिए था। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी इसके लिए तहत अदालत में रेस्टोरेशन की कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल निःशुल्क की जावे। बाद तकमील दाखिल अभिलेखागार की जावे। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	

Scanned by CamScanner